


1) भारतीय संविधान की दृष्टाप्ता से लंबे 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधि.
के लागू होने तक भारत में नागरिकता की अवधारणा के विषय
का विषय प्रमुख थी। यह विषय भारतीय राजनीति में पहचान
सुदृढ़ और समावेष्टिता की बहलती प्रवृत्तियों की दृष्टि है।

नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच अन्तर्संबंधों को बताता है।
यह एक व्यक्ति की, सर्वोच्च राजनीतिक समुदाय, अर्थात्
राज्य में, पूर्ण और बराबर सहभागिता है। संसद द्वारा
इसके स्वरूप एवं प्रकृति में समय-समय पर परिवर्तन किया
जाता रहा है।


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5-11 (भाग-2)
में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद-11 भारत के
संसद को नागरिकता संबंधी नियम बनाने हेतु प्राधिकृत
कृती है। संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम-1955 पारित
किया गया तब से अब तक इस अधिनियम में 6 बार
संशोधन किया जा चुका है।

इन संशोधनों के आधार पर
नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित रूपों में देखा
सकता है:—



① द्वैतीय आधार पर नागरिकता :- नागरिकता अधिनियम-1955

द्वारा सुसूचित: द्वैतीय आधार पर नागरिकता प्रदान की गई।
इस अधिनियम में पांच संशोधन ली गई बताए गए जिससे
द्वारा नागरिकता प्रदान की जानी थी वे इस प्रकार हैं-



② संशोधित आधार पर नागरिकता :- नागरिकता संशोधन

अधिनियम-2003 द्वारा जैसे व्यक्ति नागरिकता पा सकते
हैं, जिन्होंने माता-पिता में से कोई एक भारतीय
मूल से रहा हो, साथ ही उनमें से कोई भी अवैध
अपवादी नहीं होना चाहिए। नागरिकता संशोधन-2019, तीन
पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेश से अल्पसंख्यकों
(हिन्दू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी) से नागरिकता का प्रावधान करता है।

③ अर्द्धनागरिकता की अवधारणा :- भारतीय सरकार को

भारत में जोड़ने हेतु 'अर्द्ध नागरिकता' की अवधारणा
का अपनाया गया। ओएससी सीरीज ऑफ इंडिया (OCI)
जैसे व्यक्ति हैं जो वर्तमान में किसी अन्य देश से
नागरिक हैं तथा उनका 'मूल' भारत में जुड़ा है। उन्हें
भारत में आने-जाने, रहने इत्यादि में विशेष छूट प्रदान
दिया जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 को नागरिकता प्रदान करने की नीति के तहत निर्धारित परिपक्वता होता रहा है, जिसने नागरिकता की वर्तमान अवधारणा को विकसित किया है।

नागरिकता संबंधी यह विचार भारतीय राजनीति में निम्नलिखित प्रवृत्तियों से दर्शाते हैं -

(i) सुरक्षा :-

(1) पहचान :- नागरिकता के इस विचार ने लोगों को नागरिक के रूप में पहचान दी है। विभाजन के बाद जनसंख्या अप्रवास हो या 'भारतीय मूल' के व्यक्ति, जो सभी को भारत के नागरिक के रूप में पहचान मिली।

(ii) सुरक्षा :- नागरिकता के विचार ने भारत के नागरिकों में सुरक्षा की भावना को विकसित किया है। यह सुरक्षा इस रूप में है कि सभी नागरिक इस सुझाव हैं चाहे दलित हैं, अल्पसंख्यक या महिला सभी को सुझाव संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया है।

(iii) समावेशिता :- भारतीय लोकसंग एक उदार एवं समावेशी लोकसंग है। एक नागरिक के रूप में सभी वर्गों का समावेशन सुनिश्चित किया गया है।

हालांकि, नागरिकता अधिनियम-2019

में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का समावेशिता के विरुद्ध है। इसलिए इसकी आवश्यकता भी हुई।

इस प्रकार, कुछ खिलाड़ इस कह सकते हैं कि नागरिकता के विकास के भारतीय राजनीति में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है।